दिनांक– 06.08.2019 को उपायुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला समन्वय समिति एवं पलामु व्याघ्र आरक्ष में इको विकास अर्न्तविभागीय समन्वय की बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति:– यथा पंजीनुसार

दिनांक-06.08.2019 को उपायुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला समन्वय समिति की बैठक में केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत लक्ष्य के प्राप्ति हेतु विभाग/ योजनावार निम्नांकित निदेश दिये गये :–

विधायक मद (MLA Scheme)

उप विकास आयुक्त, लातेहार के द्वारा बताया गया कि कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, लातेहार से विधायक मद अन्तर्गत माननीय विधायक के द्वारा अनुशंसित 67 योजनाओं का अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है।

उक्त संबंध में कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, लातेहार को एक सप्ताह के अंदर तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन एवं अन्य वांछित अभिलेख तथा भूमि संबंधी प्रतिवेदन के साथ उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया

टाना भगत का आवास

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लातेहार को टाना भगत का आवास योजना का अभिलेख जांचोपरांत प्रतिवेदन योग्य टाना भगत का आवास योजना के लिये प्रस्ताव समर्पित करने हेतु निदेशित किय गया।

ग्रामीण कार्य विभाग (R.E.O)

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लातेहार के द्वारा बताया गया कि वन संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु सरयु से वनारी पथ तथा हरिया नाला पुल योजना का Online Proposal जमा किया गया है, पंरतु अबतक अनापति प्रमाण-पत्र अप्राप्त है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा बताया गया कि Online Proposal का हार्ड कापी एवं कार्यालय का प्राप्ति प्रति पुनः Online कर किया जाय।

उपायुक्त, लातेहार के द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार को Online Proposal जमा करने संबंधी S.O.P सभी एजेंसी को उपलब्ध कराने के लिये कहा गया ताकि वन संबंधी अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का बाधा ना हो एवं नियम की पूर्ण जानकारी सभी एजेंसी को प्राप्त हो।

भवन प्रमंडल (Building)

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार के द्वारा बताया गया कि महुआडांड़ में बालिका आवासीय विद्यालय के लिये उपयुक्त भूमि प्राप्त नहीं है, जिसके कारण निर्माण संबंधी अग्रेत्तर कार्य बाधित है।

उक्त संबंध में अपर समाहर्त्ता, लातेहार को 04 एकड़ भूमि तीन दिनों के अंदर चिन्हित कर कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

उक्त आवासीय विद्यालय के लिये भूमि के चयन हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अंलाधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार को सदस्य नामित करते हुये अपर समाहर्त्ता, लातेहार के अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया।

विभिन्न विभागों के द्वारा अर्द्ध-निर्मित संरचना संबंधी प्रतिवेदन

उपायुक्त, लातेहार के द्वारा सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य, कल्याण, भवन आदि विभागों के द्वारा अर्द्ध-निर्मित संरचना का विस्तृत प्रतिवेदन(निर्माण वर्ष, प्राक्कलित राशि, संवेदक का नाम, कार्यकारी एजेंसी,

- वन क्षेत्र में खुले तथा लटकते बिजली की तार के जगह का Insulated Electric Wire का प्रतिस्थापन।
- पर्यटन के क्षेत्र में Eco-Tourism को बढ़वा देने।

मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना

सभी अंचलाधिकारियों को दिनांक-06.08.2019 के 04:00 बजे पूर्वाह्न तक तिसरे एवं चौथे चरण का शत-प्रतिशत Data Entry कराकर प्रतिवेदन हेतु निदेशित किया गया।

ग्राम प्रधान का मानदेय भुगतान

सभी अंचलाधिकारियों को चिहिन्त ग्राम प्रधान का जांचोपरांत Pay Id तैयार कराकर मानदेय भुगतान करते हुये तीन दिनों के अंदर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

प्रखंड स्तरीय सरकार की योजनाओं के लिये विडियो कान्फेरेंस एवं जनता दरबार का आयोजन।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों को सरकार के द्वारा संचालित Flagship Scheme के संबंध में कम से कम 05 मिनट का विडियों कान्फरेंस 10 से 15 दिनों के अंतराल में 01 सितम्बर 2019 तक प्रखंड मुख्यालय में आहूत करते हुये जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, लातेहार को विडियो उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों को प्रखंड स्तर में संचालित जनता दरबार का प्रतिवेदन(कितने मामले आये, निष्पादन, संबंधित मामले का विभाग आदि) का प्रतिवेदन प्रत्येक जनता दरबार के बाद उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

प्रखंड स्तरीय आगंतुक कक्ष

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों को प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय अथवा उपयुक्त स्थल में आंगतुक कक्ष का निर्माण कराते हुये उक्त कक्ष में बड़े का आकार का TV एवं पेयजल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु निदेशित किया गया। उक्त अधिष्ठापित TV में केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा संचालित Flagship Scheme के प्रसारण सुनिश्चित किया जाय ताकि आम जन को सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का जानकारी प्राप्त हो सके।

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लातेहार को भी जिला अस्पताल में उक्त सुविधा का संचालन करने हेतु निदेशित किया गया।

अन्यान्य :-

1. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों तथा अन्य विभागों के पदाधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों/पदाधिकारियों के संबंध में प्रतिवेदन हेतु निदेशित किया गया ताकि 15 अगस्त के अवसर में उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जा सके।
2. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को मनरेगा अन्तर्गत निर्मित कूप के लाभुक की सूची जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, लातेहार को समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया ताकि उन्हें 90 प्रतिशत अनुदान में पम्प सेट का वित्तरण किया जा सके।
3. जिला सहकारिता पदाधिकारी, लातेहार को फसल बीमा के लिये निर्धारित लक्ष्य का शत प्रतिशत प्राप्ति हेतु निदेशित किया गया।
4. सभी अंचलाधिकारियों को **"लोहरा"** जाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विभागीय निर्देशों का अनुपालन कर अविलम्ब जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई का निदेश दिया गया।
5. अंचलाधिकारी, बालूमाथ को जनसंवाद से संबंधित 50 मामले लम्बे समय से लम्बित रखने के कारण स्पष्टीकरण पुछने हेतु नोडल पदाधिकारी, मुख्यमंत्री जनसंवाद, लातेहार को निदेशित किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

उपायुक्त, लातेहार।